सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11/SC ST OBC SBC/जा.प्र.प/सान्याअवि/12/ 59752-85 जयपुर दिनांक 06/10/2015

समस्त जिला कलक्टर

....

विषय :– समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में जारी किये गये दिशा निर्देश दिनाकं 09.09.15 के संबध में स्पष्टीकरण जारी करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्तगत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायलय में दायर सिविल अपील पिटिशन स0 5854/1994 कु0 माधुरी पाटील बनाम महाराष्ट्र सरकार व अन्य प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 28.04.97 की अनुपालना में अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछडी जाति एवं विशेष पिछडी जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आदेश क्रमांक 54159 दिनांक 09.09.15 द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किये गये है जिनकी प्रतिया आपको प्रेषित की जा चुकी है।

उक्त दिशा निर्देशो में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिये नायब तहसीलदार /तहसीलदार के स्थान पर उपखण्ड अधिकारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है। तथा दिशा निर्देशों में अंकित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया अर्न्तगत यह उल्लेख किया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाला सक्षम अधिकारी अपने अधिनस्थ कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर आदि से आवेदक की जाति का नियमानुसार परीक्षण करायेगा। इस संबध में उपरोक्त कार्मिक यथा पटवारी/गिरदावर अपनी परीक्षण रिपोर्ट नायब तहसीलदार /तहसीलदार को प्रस्तुत करेगें तथा तहसीलदार द्वारा परीक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर अपनी रिपोर्ट सक्षम अधिकारी अर्थात उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेगें, उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र जारी करेगें। यह स्पष्टीकरण विभाग द्वारा दिनांक 09.09.15 को जाति प्रमाण पत्रों के संबध में जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुक्रम में जारी किया जाता है।

भवदीय

6.10.2015

(सुदर्शन सेठी)

प्रमुख शासन सचिव